



DREAM
FOR NATION



DARE
TO SERVE



DELIVER
WITH INTEGRITY

DAILY CURRENT AFFAIRS HINDI FILE

BEST FOR UPSC | UP PCS EXAM

DATE : SEPTEMBER 5, 2026



Comprehensive
Coverage



Exam-Focused
Analysis



Concept Clarity
& Insights



Practice MCQs
with Explanation



Daily Updates,
Better Results



CONTACT INFO:

+91 92896 33341 | +91 96679 33341



EMAIL ID:

info@sixsigmaias.com



WEB PAGE:

www.sixsigmaias.com



ADDRESS:

C-6, GROUND FLOOR, SECTOR 2,
NEAR SECTOR 15 METRO STATION, NOIDA – 201301, UTTAR PRADESH

Table of Contents

1. इसरो द्वारा EOS-05 का प्रक्षेपण: भारत का उन्नत भू-स्थिर इमेजिंग उपग्रह	2
2. श्री गुरु गोरखनाथ सामुदायिक रिजर्व का क्षरण दुर्लभ मीठे पानी के कछुओं को खतरे में डालता है	4
3. अंतर-राज्यीय नदी जल विवाद: कृष्णा जल बंटवारे पर गतिरोध	5
4. भारतीय शोधकर्ताओं ने औपनिवेशिक मकड़ी के जहर का मानचित्रण किया: कैंसर रोधी और चिकित्सीय क्षमता	7
5. पश्चिम एशिया में बदलते प्रतिमान: बहु-संरेखण से कठोर सुरक्षा साझेदारियों की ओर संक्रमण	9
6. भारत के मॉडल द्विपक्षीय निवेश संधि में संशोधन: निवेशक संरक्षण और लोकतांत्रिक जवाबदेही में संतुलन ...	11
7. सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित उच्च स्तरीय समिति ने अरावली के लिए पारिस्थितिकी तंत्र-आधारित सीमांकन का प्रस्ताव रखा	13
8. न्यायिक रिक्तियों को संबोधित करना: सुप्रीम कोर्ट ने जिला न्यायपालिका में सेवानिवृत्ति की आयु बढ़ाने पर दिया जोर	14
9. रिकॉर्ड बैंकिंग तरलता के बीच RBI ने VRRR के माध्यम से ₹6.02 लाख करोड़ का अवशोषण किया	16
10. अनक्लॉस (UNCLOS): महासागरों का स्थायी संविधान और वैश्विक समुद्री शासन	17
11. लद्दाख ने 'नौटोर भूमि' नियमितीकरण नियमों को मंजूरी दी: स्वामित्व अधिकार प्रदान करना और स्थानीय शासन को मजबूत करना	19
12. व्यापक आर्थिक डेटा बनाम वास्तविक स्थिति: भारत के जीडीपी अनुमानों में जनता के अविश्वास के कारकों का विश्लेषण	21

1. इसरो द्वारा EOS-05 का प्रक्षेपण: भारत का उन्नत भू-स्थिर इमेजिंग उपग्रह

मुख्य विशेषताएं और सारांश (Key Highlights & Summary)

- भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) ने श्रीहरिकोटा से भू-समकालिक उपग्रह प्रक्षेपण यान (GSLV-F17) के माध्यम से 2,367 किलोग्राम वजनी पृथ्वी अवलोकन उपग्रह (EOS-05) को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया।

- EOS-05 भू-समकालिक कक्षा (लगभग 36,000 किमी ऊंचाई) में स्थापित होने वाला भारत का पहला समर्पित इमेजिंग उपग्रह है, जिसे इसकी निरंतर निगरानी क्षमताओं के लिए "आकाश में आंख" (eye in the sky) उपनाम मिला है।
- उपग्रह को सटीकता के साथ सब-जियोसिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट (Sub-GTO) में स्थापित किया गया, जहां से इसका ऑनबोर्ड नोदक तंत्र (propulsion system) इसे इसकी अंतिम परिचालन भू-स्थिर कक्षा तक ले जाएगा।
- दृश्यमान, अवरक्त (infrared), मल्टीस्पेक्ट्रल और हाइपरस्पेक्ट्रल इमेजिंग में सक्षम उन्नत पेलोड ले जाने वाला EOS-05 लक्षित क्षेत्रों के लिए 5 मिनट तक के कम पुनरावृत्ति समय (revisit times) के साथ उच्च-आवृत्ति कवरेज प्रदान करता है।
- यह मिशन कृषि, आपदा प्रबंधन, पर्यावरण निगरानी और राष्ट्रीय रणनीतिक गतिविधियों का समर्थन करने के लिए महत्वपूर्ण वास्तविक समय (real-time) के चित्र प्रदान करता है।
- GSLV की 19वीं उड़ान और श्रीहरिकोटा से 107वें प्रक्षेपण को चिह्नित करते हुए, यह सफलता EOS-03 (GSLV-F10) के पहले हुए नुकसान के बाद GSLV कार्यक्रम में विश्वास को बहाल करती है।



Isro launches EOS-05,
India's 1st imaging satellite
in geosynchronous orbit

आवश्यक परिभाषाएं (Essential Definitions)

- भू-समकालिक कक्षा / जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट (Geosynchronous Orbit - GEO):** लगभग 36,000 किमी की ऊंचाई पर स्थित एक उच्च-पृथ्वी कक्षा जहां उपग्रह का परिक्रमा काल पृथ्वी के घूर्णन काल के समान होता है, जो इसे किसी विशिष्ट क्षेत्र के सापेक्ष स्थिर रखता है।
- सब-जियोसिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट (Sub-GTO):** मानक GEO की तुलना में कम अपोजी (apogee) वाली एक अंडाकार मध्यवर्ती कक्षा, जो उपग्रह के ऑनबोर्ड इंजनों को कक्षा-बढ़ाने के युद्धाभ्यास को पूरा करने की आवश्यकता के द्वारा लॉन्चर प्रोपेलेंट को सुरक्षित रखती है।
- हाइपरस्पेक्ट्रल इमेजिंग (Hyperspectral Imaging):** एक उन्नत रिमोट सेंसिंग तकनीक जो भू-सामग्री और वनस्पति स्वास्थ्य की सटीक पहचान करने के लिए सैकड़ों संकीर्ण, निरंतर विद्युत चुम्बकीय बैंडों में छवि डेटा एकत्र करती है।

कानूनी और संवैधानिक ढांचा (Legal and Constitutional Framework)

- भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023 (Indian Space Policy 2023):** राष्ट्रीय सुरक्षा, आपदा न्यूनीकरण, सामाजिक-आर्थिक विकास और गैर-सरकारी अंतरिक्ष संस्थाओं की भागीदारी के लिए उन्नत अंतरिक्ष परिसंपत्तियों के एकीकरण को प्रोत्साहित करती है।
- आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 (Disaster Management Act, 2005):** NDMA और SDMA के तहत पूर्व चेतावनी, जोखिम कम करने और आपदा प्रतिक्रिया अभियानों में वास्तविक समय के उपग्रह चित्रों को एकीकृत करने के लिए वैधानिक आधार प्रदान करता है।
- भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51A(h):** तकनीकी प्रगति के माध्यम से वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद तथा ज्ञानार्जन एवं सुधार की भावना का विकास करने का मौलिक कर्तव्य।

निष्कर्ष (Conclusion)

GSLV-F17 के माध्यम से EOS-05 की तैनाती भारतीय भूभाग की वास्तविक समय की निगरानी के लिए एक महत्वपूर्ण क्षमता स्थापित करती है। आवधिक कक्षीय चक्रों से निरंतर निगरानी की ओर पृथ्वी अवलोकन को स्थानांतरित करके, इसरो राष्ट्रीय आपदा तैयारियों, कृषि प्रबंधन और रणनीतिक स्थितिजन्य जागरूकता को मजबूत करता है।

यूपीएससी प्रासंगिकता (UPSC Relevance)

- **जीएस पेपर III:** अंतरिक्ष, आईटी और रिमोट सेंसिंग के क्षेत्र में जागरूकता; आपदा प्रबंधन और जोखिम न्यूनीकरण; विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में भारतीयों की उपलब्धियां।
- **प्रारंभिक परीक्षा केंद्र:** LEO, GTO और Sub-GTO कक्षाओं के बीच अंतर; GSLV तीन-चरणीय वास्तुकला (CUS क्रायोजेनिक चरण सहित); हाइपरस्पेक्ट्रल बनाम मल्टीस्पेक्ट्रल सेंसर के कार्य।

2. श्री गुरु गोरखनाथ सामुदायिक रिजर्व का क्षरण दुर्लभ मीठे पानी के कछुओं को खतरे में डालता है

मुख्य विशेषताएं और सारांश (Key Highlights & Summary)

- अनियोजित सीवेज निकासी और प्रशासनिक उपेक्षा ने हरियाणा के फतेहाबाद जिले के काजलहेरी गांव में श्री गुरु गोरखनाथ सामुदायिक रिजर्व में गंभीर पर्यावरणीय क्षरण उत्पन्न कर दिया है, जिससे स्थानीय मीठे पानी के कछुओं की आबादी खतरे में पड़ गई है।
- 2019 में हरियाणा सरकार द्वारा अधिसूचित इस सामुदायिक रिजर्व में लगभग 150-200 दुर्लभ कछुए रहते हैं, जिनमें इंडियन सॉफ्टशेल कछुआ, रेड-क्राउन रूफड कछुआ और इंडियन पीकॉक सॉफ्टशेल कछुआ शामिल हैं।
- तालाब के पानी में भारी रासायनिक और सीवेज प्रदूषण के कारण सॉफ्टशेल कछुओं में त्वचा के घाव, फंगल संक्रमण और अंधापन सहित गंभीर बीमारियां हो रही हैं।
- संदूषण कछुओं को सड़कों और कृषि खेतों के माध्यम से पास की किशनगढ़ नहर की ओर पलायन करने के लिए मजबूर कर रहा है, जिससे वे वाहनों से कुचले जाने के खतरों, आवारा कुत्तों के शिकार और मवेशियों द्वारा घोंसले रौंदे जाने के जोखिम में आ रहे हैं।
- वन्यजीव कार्यकर्ताओं ने जानबूझकर गैर-अनुपालन और आवंटित संरक्षण निधियों के विचलन के लिए जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के तहत आपराधिक मामला दर्ज करने की मांग की है।
- प्रस्तावित शमन उपायों में अनुपचारित सीवेज को मोड़ना, सीमा बाड़ का निर्माण करना, उठे हुए घोंसले के टीलों का निर्माण करना और एक समर्पित अपशिष्ट मोड़ तालाब की खुदाई करना शामिल है।



आवश्यक परिभाषाएं (Essential Definitions)

- सामुदायिक रिजर्व (Community Reserve):** भारतीय वन्यजीव कानून के तहत निजी या सामुदायिक भूमि पर घोषित एक संरक्षित क्षेत्र श्रेणी जहां स्थानीय समुदाय स्वेच्छा से जीवों, वनस्पतियों और पारंपरिक मूल्यों का संरक्षण करते हैं।
- सॉफ्टशेल कछुआ (Softshell Turtle):** ट्रायोनिकिडे (Trionychidae) परिवार से संबंधित मीठे पानी के सरीसृप, जिनकी विशेषता कठोर हड्डी के खोल के बजाय एक नरम, चमड़े जैसा कैरापेस (carapace) होता है, जो उन्हें जलीय विषाक्त पदार्थों और त्वचा के संक्रमण के प्रति अत्यधिक संवेदनशील बनाता है।
- जैव-संचयन / बायो-एक्यूमुलेशन (Bio-accumulation):** वह प्रक्रिया जिसके द्वारा विषाक्त प्रदूषक, भारी धातुएं और रासायनिक अपशिष्ट किसी जीव के शरीर के अंदर उसके चयापचय (metabolized) या उत्सर्जित होने की दर से अधिक तेजी से जमा होते हैं।

कानूनी और संवैधानिक ढांचा (Legal and Constitutional Framework)

- वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (धारा 36C):** राज्य सरकारों को सामुदायिक रिजर्व घोषित करने का वैधानिक जनादेश प्रदान करता है और अनुसूची I की प्रजातियों को बाघों और गैंडों के समान वैधानिक संरक्षण प्रदान करता है।
- भारतीय संविधान का अनुच्छेद 48A:** राज्य का नीति निर्देशक तत्व जो राज्य को पर्यावरण की रक्षा और सुधार करने तथा वन्यजीवों को सुरक्षित रखने का प्रयास करने के लिए बाध्य करता है।
- भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51A(g):** प्रत्येक भारतीय नागरिक का मौलिक कर्तव्य कि वह वनों, झीलों, नदियों और वन्यजीवों सहित प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और सुधार करे तथा जीवित प्राणियों के प्रति दयाभाव रखे।
- जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974:** धाराओं, तालाबों या भूमि में अनुपचारित जहरीले, हानिकारक या प्रदूषणकारी पदार्थों के निपटान को प्रतिबंधित करता है।

निष्कर्ष (Conclusion)

काजलहेरी कम्युनिटी रिजर्व में मानवजनित संकट संरक्षित क्षेत्र की अधिसूचना और जमीनी प्रवर्तन के बीच संस्थागत अंतराल को उजागर करता है। नाजुक जलीय आवासों की सुरक्षा के लिए सख्त प्रदूषण विरोधी प्रवर्तन, साइट-विशिष्ट प्रबंधन योजनाओं का समय पर निष्पादन और संस्थागत समुदाय-नेतृत्व वाले संरक्षण ढांचे की आवश्यकता है।

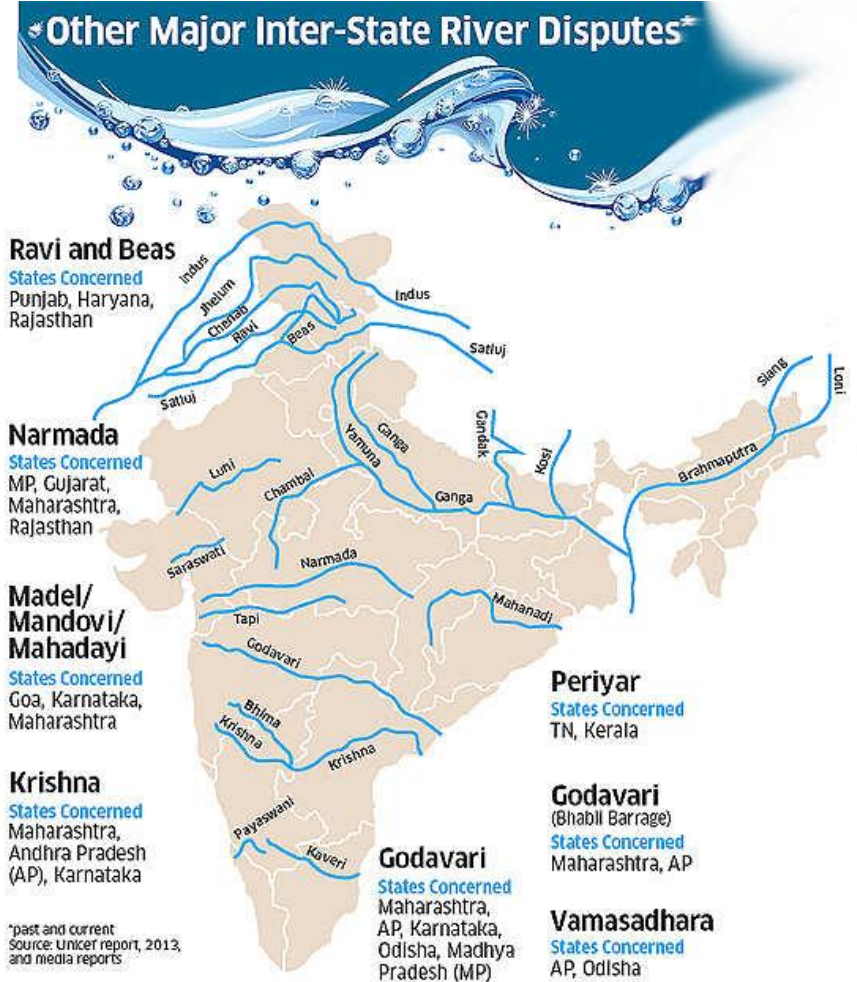
यूपीएससी प्रासंगिकता (UPSC Relevance)

- जीएस पेपर III:** संरक्षण, पर्यावरण प्रदूषण और क्षरण, पर्यावरण प्रभाव आकलन, वन्यजीव संरक्षण ढांचा।
- प्रारंभिक परीक्षा केंद्र:** संरक्षण स्थिति (इंडियन सॉफ्टशेल: संकटग्रस्त/Endangered, रेड-क्राउन रूपड: अति संकटग्रस्त/Critically Endangered), वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम 1972 की अनुसूचियां, सामुदायिक रिजर्व प्रबंधन समितियों की शासन संरचना।

3. अंतर-राज्यीय नदी जल विवाद: कृष्णा जल बंटवारे पर गतिरोध

मुख्य विशेषताएं और सारांश (Key Highlights & Summary)

- कृष्णा नदी प्रबंधन बोर्ड (KRMB) की एक उच्च स्तरीय तीन सदस्यीय समिति की बैठक जल वर्ष 2026-27 के लिए जल बंटवारे के अनुपात के संबंध में आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बीच अंतर-राज्यीय विवाद को सुलझाने में विफल रही।
- आंध्र प्रदेश ने 2015-16 में स्थापित अस्थायी 66:34 तदर्थ (ad-hoc) बंटवारे की व्यवस्था को जारी रखने की मांग की, जबकि तेलंगाना ने समान 50:50 वितरण सूत्र पर जोर दिया।
- गंभीर एल नीनो-प्रेरित सूखे की स्थिति और खाली हुए जलाशय के प्रवाह ने बेसिन में जल संकट को बढ़ा दिया है, जिससे उपयोग केवल महत्वपूर्ण पेयजल जरूरतों को पूरा करने तक सीमित हो गया है।
- अनधिकृत जल निकासी के पारस्परिक आरोप जारी रहे, तेलंगाना ने आंध्र प्रदेश पर पोथीरेड्डीपाडू परियोजना के माध्यम से अतिरिक्त पानी मोड़ने का आरोप लगाया, जबकि आंध्र प्रदेश ने साझा भंडारण सुविधाओं (Common Storage Facilities) पर तेलंगाना के अनधिकृत जलविद्युत उत्पादन पर आपत्ति जताई।
- दोनों राज्यों ने अक्टूबर 2026 तक क्षेत्रीय पेयजल मांगों को पूरा करने के लिए 47 टीएमसी फीट पानी के लिए आपातकालीन अनुरोध प्रस्तुत किए।
- KRMB जारी गतिरोध को हल करने के लिए राज्य के सिंचाई सचिवों और शीर्ष परिषद (Apex Council) को शामिल करते हुए एक पूर्ण बोर्ड बैठक आयोजित करने की योजना बना रहा है।



आवश्यक परिभाषाएं (Essential Definitions)

- कृष्णा नदी प्रबंधन बोर्ड / केआरएमबी (Krishna River Management Board - KRMB):** आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में कृष्णा बेसिन में जल वितरण को विनियमित करने, संचालित करने और प्रबंधित करने के लिए जल शक्ति मंत्रालय के तहत स्थापित एक स्वायत्त वैधानिक निकाय।
- तदर्थ बंटवारा अनुपात (Ad-Hoc Sharing Ratio):** एक नदी जल न्यायाधिकरण द्वारा अंतिम निर्णय या औपचारिक अधिसूचना लंबित रहने तक तटवर्ती राज्यों (riparian states) द्वारा अपनाया गया एक अस्थायी, गैर-बाध्यकारी जल वितरण ढांचा।

- साझा भंडारण सुविधाएं (Common Storage Facilities):** बहुउद्देशीय शीर्ष कार्य—मुख्य रूप से श्रीशैलम और नागार्जुनसागर बांध—जिनका संयुक्त रूप से तटवर्ती राज्यों द्वारा सिंचाई, पेयजल और जलविद्युत उत्पादन के लिए उपयोग किया जाता है।

कानूनी और संवैधानिक ढांचा (Legal and Constitutional Framework)

- भारतीय संविधान का अनुच्छेद 262:** संसद को अंतर-राज्यीय नदियों या नदी घाटियों के जल के उपयोग, वितरण या नियंत्रण से संबंधित विवादों या शिकायतों के न्यायनिर्णयन (adjudication) के लिए कानून बनाने का अधिकार देता है।
- अंतर-राज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम, 1956:** अंतर-राज्यीय नदी विवादों के बाध्यकारी न्यायनिर्णयन के लिए तदर्थ न्यायाधिकरणों (जैसे KWDI) की स्थापना के लिए अनुच्छेद 262 के तहत अधिनियमित।
- आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2014 (धारा 85 और धारा 84):** KRMB और एक शीर्ष परिषद (जिसमें केंद्रीय जल शक्ति मंत्री और दोनों राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल हैं) के गठन का वैधानिक ढांचा जो नदी जल प्रबंधन की देखरेख करता है।

निष्कर्ष (Conclusion)

KRMB में बार-बार होने वाला गतिरोध एल नीनो जैसे जल-जलवायु तनाव के दौरान तदर्थ प्रशासनिक व्यवस्था की संवेदनशीलता को दर्शाता है। दीर्घकालिक क्षेत्रीय जल सुरक्षा प्राप्त करने के लिए स्थायी न्यायाधिकरण न्यायनिर्णयन, संस्थागत वास्तविक समय टेलीमेट्री निगरानी और शीर्ष परिषद के जनादेशों का कड़ाई से पालन आवश्यक है।

यूपीएससी प्रासंगिकता (UPSC Relevance)

- जीएस पेपर II:** वैधानिक, नियामक और विभिन्न अर्ध-न्यायिक निकाय; संघ और राज्यों के कार्य और उत्तरदायित्व, संघीय ढांचे से संबंधित मुद्दे और चुनौतियां; अंतर-राज्यीय जल विवाद।
- जीएस पेपर III:** अवसंरचना: जल संसाधन; संरक्षण, पर्यावरण प्रदूषण और क्षरण।
- प्रारंभिक परीक्षा केंद्र:** अनुच्छेद 262, अंतर-राज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम 1956, आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2014 (KRMB और शीर्ष परिषद), और कृष्णा नदी बेसिन का भूगोल (श्रीशैलम, नागार्जुनसागर बांध, और तुंगभद्रा एवं मूसी जैसी प्रमुख सहायक नदियां)।

4. भारतीय शोधकर्ताओं ने औपनिवेशिक मकड़ी के जहर का मानचित्रण किया: कैंसर रोधी और चिकित्सीय क्षमता

मुख्य विशेषताएं और सारांश (Key Highlights & Summary)

- श्री नीलकंठ राजकीय संस्कृत कॉलेज, पट्टाम्बी, केरल के ए.पी. अजय कुमार के नेतृत्व में भारतीय शोधकर्ताओं की एक बहुविषयक टीम ने स्टेगोडिफस सरसिनोरम (*Stegodyphus sarasinorum*) की विष ग्रंथि का पहला व्यापक आणविक और कार्यात्मक प्रोफाइल तैयार किया है।

- स्प्रिंगर नेचर के सहकर्मि-समीक्षित (peer-reviewed) जर्नल *साइंटिफिक रिपोर्ट्स* में प्रकाशित निष्कर्षों में आशाजनक कैंसर रोधी, रोगाणुरोधी और प्रतिरक्षा-मोड्युलेटिंग गुणों वाले बायोएक्टिव यौगिकों की पहचान की गई।
- ट्रांसक्रिप्टोमिक्स, प्रोटीयोमिक्स और UHPLC-MS सहित एकीकृत मल्टी-ओमिक्स तकनीकों का उपयोग करते हुए, टीम ने विष ग्रंथि के भीतर 31 ट्रांसक्रिप्टोमिक प्रोटीन घटकों, 32 प्रोटीयोमिक प्रोटीन और 81 अलग-अलग मेटाबोलाइट्स का मानचित्रण किया।
- इन विट्रो (In vitro) प्रयोगशाला परीक्षणों से यह सिद्ध हुआ कि विष ग्रंथि के अर्क डाल्टन के लिम्फोमा जलोदर (Dalton's Lymphoma Ascites - DLA) कैंसर कोशिकाओं के खिलाफ खुराक-निर्भर साइटोटोक्सिसिटी (dose-dependent cytotoxicity) प्रदर्शित करते हैं, जो उच्च सांद्रता पर घातक कोशिकाओं के उच्च प्रतिशत को नष्ट करते हैं।
- खोजे गए प्रमुख बायोएक्टिव अणुओं में हेमोसियानिन प्रोटीन (संभावित कैंसर इम्यूनोथेरेपी के लिए महत्वपूर्ण) और U12/U20 लाइकोटॉक्सिन (पेष्टाइड्स जो रोगजनकों और कैंसर कोशिकाओं की कोशिका झिल्ली को बाधित करते हैं) शामिल हैं।
- स्टेगोडिफस सरसिनोरम (*Stegodyphus sarasinorum*) एक भारतीय सहकारी मकड़ी प्रजाति है जो स्थायी सामाजिक कॉलोनियों में रहती है, साम्प्रदायिक रेशम के घोंसले बनाती है, और सहकारिता से शिकार करती है, जिससे यह जैव-संभावना (bio-prospecting) अनुसंधान के लिए एक असाधारण मॉडल बन जाती है।



आवश्यक परिभाषाएं (Essential Definitions)

- खुराक-निर्भर साइटोटोक्सिक गतिविधि (Dose-Dependent Cytotoxic Activity):** किसी रासायनिक यौगिक या अर्क की जीवित कोशिकाओं को उसकी सांद्रता के सीधे अनुपात में नष्ट करने की जैविक क्षमता।
- मल्टी-ओमिक्स प्रोफाइलिंग (Multi-Omics Profiling):** जटिल जैविक प्रणालियों को डिकोड करने के लिए ट्रांसक्रिप्टोमिक्स (आरएनए विश्लेषण), प्रोटीयोमिक्स (प्रोटीन पहचान), और मेटाबोलोमिक्स (छोटे अणु पहचान) को जोड़ने वाला एक एकीकृत विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण।
- लाइकोटॉक्सिन / U12/U20 (Lycotoxins):** छिद्र बनाने वाले रोगाणुरोधी पेष्टाइड्स जो रोगजनक बैक्टीरिया और कैंसर कोशिकाओं में लिपिड बाइलेयर झिल्ली को भेदने में सक्षम होते हैं।

कानूनी और संवैधानिक ढांचा (Legal and Constitutional Framework)

- जैविक विविधता अधिनियम, 2002 (धारा 3, 4, और 6):** जैविक संसाधनों तक पहुंच को नियंत्रित करता है, न्यायसंगत लाभ-साझाकरण सुनिश्चित करने के लिए वाणिज्यिक उपयोग और जैव-संभावनाओं (bio-prospecting) के लिए राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण (NBA) की मंजूरी की आवश्यकता होती है।
- औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 और नियम, 1945:** किसी भी प्रयोगशाला जैव-अणु के प्री-क्लिनिकल या मानव नैदानिक परीक्षणों (human clinical trials) में संक्रमण से पहले अनिवार्य नैदानिक मूल्यांकन, सुरक्षा परीक्षण और आधिकारिक लाइसेंसिंग प्रोटोकॉल को विनियमित करता है।

- **भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51A(h):** अभिनव स्वदेशी अनुसंधान के माध्यम से वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद तथा ज्ञानार्जन एवं सुधार की भावना विकसित करने के प्रत्येक नागरिक के मौलिक कर्तव्य को निर्धारित करता है।

निष्कर्ष (Conclusion)

स्टेगोडिफस सरसिनोरम (*Stegodyphus sarasinorum*) के जहर में लक्षित साइटोटोक्सिक पेप्टाइड्स की पहचान भारत के स्वदेशी जीवों की विशाल, अप्रयुक्त बायोफार्मास्युटिकल क्षमता को रेखांकित करती है। यद्यपि ये प्रारंभिक परिणाम प्रभावी इन-विट्रो कैंसर रोधी कार्रवाई प्रदर्शित करते हैं, चिकित्सा अनुवाद से पहले कठोर सत्यापन, पशु विषाक्तता प्रोफाइलिंग और नैदानिक परीक्षण आवश्यक पूर्व-आवश्यकताएं बने हुए हैं।

यूपीएससी प्रासंगिकता (UPSC Relevance)

- **जीएस पेपर III:** दैनिक जीवन में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास और अनुप्रयोग; प्रौद्योगिकी का स्वदेशीकरण और नई तकनीक विकसित करना; बायोटेक्नोलॉजी, बायो-प्रोस्पेक्टिंग, और बौद्धिक संपदा अधिकार (IPR)।
- **प्रारंभिक परीक्षा केंद्र:** मल्टी-ओमिक्स तकनीक (ट्रांसक्रिप्टोमिक्स बनाम प्रोटीयोमिक्स बनाम मेटाबोलोमिक्स), स्टेगोडिफस सरसिनोरम का सामाजिक व्यवहार, हेमोसियानिन और लाइकोटॉक्सिन के कार्य, और जैविक विविधता अधिनियम, 2002 के प्रावधान।

5. पश्चिम एशिया में बदलते प्रतिमान: बहु-संरेखण से कठोर सुरक्षा साझेदारियों की ओर संक्रमण

मुख्य विशेषताएं और सारांश (Key Highlights & Summary)

- पश्चिम एशिया के प्रति भारत की पारंपरिक नीति—जिसे क्षेत्रीय शक्ति केंद्रों के बीच "बहु-संरेखण" (multi-alignment), लेन-देन संबंधी वाणिज्य और रणनीतिक हेजिंग द्वारा परिभाषित किया गया था—क्षेत्रीय सुरक्षा गतिशीलता में संरचनात्मक बदलाव के बीच तेजी से अप्रचलित हो रही है।
- चयनात्मक जुड़ाव में संयुक्त राज्य अमेरिका के क्रमिक पीछे हटने ने प्रमुख समुद्री चोक पॉइंट्स और व्यापार गलियारों में एक महत्वपूर्ण सुरक्षा शून्य उत्पन्न कर दिया है।
- सऊदी अरब, तुर्की और पाकिस्तान के बीच मक्का संयुक्त रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर एक नई सामूहिक रक्षा वास्तुकला का संकेत देते हैं जो खाड़ी की वित्तीय पूंजी, तुर्की रक्षा प्रौद्योगिकी और पाकिस्तानी सैन्य जनशक्ति को जोड़ती है।
- क्षेत्रीय अवसंरचना बॉब-अल-मंदेब और होर्मुज जलडमरूमध्य जैसे चोक पॉइंट्स पर कम लागत वाले ड्रोन युद्ध, ग्रे-ज़ोन रणनीति और समुद्री व्यवधानों के प्रति अत्यधिक संवेदनशील बनी हुई है।
- क्षेत्रीय शक्तियां दिन-प्रतिदिन के नियमित राजनयिक जुड़ाव के बजाय ठोस कठोर-शक्ति सुरक्षा गारंटियों—जिसमें नौसेना गश्त, संयुक्त सैन्य अभ्यास और रक्षा प्रौद्योगिकी साझेदारियां शामिल हैं—को तेजी से प्राथमिकता दे रही हैं।

- भारत को अपनी ऊर्जा लाइनों, व्यापार मार्गों और प्रवासियों की रक्षा के लिए पश्चिमी हिंद महासागर में क्षेत्रीय स्थिरता के निष्क्रिय लाभार्थी के स्थान पर एक सक्रिय शुद्ध सुरक्षा प्रदाता (net security provider) के रूप में काम करना होगा।

आवश्यक परिभाषाएं (Essential Definitions)

- बहु-संरेखण नीति (Multi-Alignment Policy):** एक व्यावहारिक राजनयिक रणनीति जहां एक राष्ट्र औपचारिक सुरक्षा गठबंधनों के लिए प्रतिबद्ध हुए बिना प्रतिस्पर्धी भू-राजनीतिक शक्ति केंद्रों के साथ संतुलित, स्वतंत्र और गैर-बाध्यकारी संबंध बनाए रखता है।
- शुद्ध सुरक्षा प्रदाता (Net Security Provider):** एक ऐसा राष्ट्र जो अपने समुद्री क्षेत्र को स्थिर करने, अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मार्गों की रक्षा करने और क्षेत्रीय सहयोगियों को आपदा राहत या आतंकवाद विरोधी सहायता प्रदान करने के लिए विश्वसनीय सैन्य और परिचालन उपस्थिति प्रस्तुत करने में सक्षम हो।
- ग्रे-ज़ोन वारफेयर (Grey-Zone Warfare):** राज्य या गैर-राज्य अभिनेताओं द्वारा संचालित रणनीतिक गतिविधियां जो पारंपरिक शांति और औपचारिक युद्ध के बीच आती हैं, जो ड्रोन हमलों, साइबर हमलों और समुद्री नाकाबंदी जैसे असममित उपकरणों (asymmetric tools) पर निर्भर करती हैं।



कानूनी और संवैधानिक ढांचा (Legal and Constitutional Framework)

- भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51:** राज्य को अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने, अंतर्राष्ट्रीय कानून के प्रति सम्मान को बढ़ावा देने और राष्ट्रों के बीच न्यायसंगत और सम्मानजनक संबंध बनाए रखने का निर्देश देता है।
- समुद्र के कानून पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन (UNCLOS), 1982:** अंतर्राष्ट्रीय समुद्री कानून को संहिताबद्ध करता है, जो होर्मुज और बाब-अल-मंदेब जैसे रणनीतिक जलडमरूमध्य के माध्यम से नेविगेशन की स्वतंत्रता और निर्दोष मार्ग की गारंटी देता है।
- द्विपक्षीय रक्षा सहयोग समझौते (Bilateral Defense Cooperation Agreements):** भारत और खाड़ी सहयोग परिषद (GCC) के सदस्य राज्यों के बीच संयुक्त नौसेना अभ्यास, खुफिया जानकारी साझा करने, रसद सहायता और सैन्य प्रशिक्षण को सक्षम करने वाले वैधानिक और संस्थागत ढांचे।

निष्कर्ष (Conclusion)

जैसे-जैसे क्षेत्रीय सुरक्षा संरचनाएं बाहरी गठबंधनों के आसपास एकजुट होती हैं, केवल वाणिज्यिक व्यापार और प्रवासी कूटनीति पर निर्भर रहना भारतीय राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए अब पर्याप्त नहीं है। नई दिल्ली को पश्चिम एशिया में मजबूत, कठोर-शक्ति सुरक्षा ढांचा बनाने के लिए अपनी बढ़ती नौसेना क्षमताओं और रक्षा-औद्योगिक आधार का लाभ उठाना चाहिए।

यूपीएससी प्रासंगिकता (UPSC Relevance)

- **जीएस पेपर II:** भारत से जुड़े और/या भारत के हितों को प्रभावित करने वाले द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक समूह और समझौते; भारत के हितों और भारतीय प्रवासियों पर विकसित और विकासशील देशों की नीतियों और राजनीति का प्रभाव।
- **जीएस पेपर III:** सीमावर्ती और समुद्री क्षेत्रों में सुरक्षा चुनौतियां और उनका प्रबंधन; संगठित अपराध का आतंकवाद से संबंध; रक्षा प्रौद्योगिकी स्वदेशीकरण।
- **प्रारंभिक परीक्षा केंद्र:** पश्चिम एशियाई चोक पॉइंट्स का भूगोल (होर्मुज जलडमरूमध्य, बाब-अल-मंदेब, अदन की खाड़ी), पश्चिमी हिंद महासागर में त्रिपक्षीय रक्षा व्यवस्था, और UNCLOS के तहत संस्थागत तंत्र।

6. भारत के मॉडल द्विपक्षीय निवेश संधि में संशोधन: निवेशक संरक्षण और लोकतांत्रिक जवाबदेही में संतुलन

मुख्य विशेषताएं और सारांश (Key Highlights & Summary)

- वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के केंद्रीय बजट की घोषणा के बाद, भारत पिछले दशक में नए निवेश समझौतों को बाधित करने वाली सीमाओं को संबोधित करने के लिए अपने 2015 के मॉडल द्विपक्षीय निवेश संधि (BIT) में संशोधन कर रहा है।
- 2015 का मॉडल BIT राज्य के विनियमित करने के अधिकार (right to regulate) की ओर अत्यधिक झुका हुआ था, जिसने कानूनी सुरक्षा, नियामक जोखिमों और भारत में न्यायिक देरी के संबंध में विदेशी पूंजी निर्यातकों के बीच चिंताओं को बढ़ा दिया था।
- संतुलन बहाल करने के लिए, प्रस्तावित कानूनी सुधार विदेशी निवेशकों के लिए पर्याप्त सुरक्षा बढ़ाने, अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता तक पहुंच को सरल बनाने और निवेश सुविधा में सुधार करने का प्रयास करते हैं।
- संधि-निर्माण प्रक्रिया को "लोकतांत्रिक घाटे" (democratic deficit) के संबंध में आलोचना का सामना करना पड़ता है, क्योंकि तकनीकी और कार्यकारी वार्ताएं अक्सर पर्याप्त संसदीय निगरानी या सार्वजनिक भागीदारी के बिना आगे बढ़ती हैं।
- बाहरी परामर्श की सर्वोत्तम प्रथाएं—जैसा कि नॉर्वे, कोलंबिया और 2015 के मसौदे पर भारत के विधि आयोग की 260वीं रिपोर्ट द्वारा प्रदर्शित किया गया है—पारदर्शी हितधारक जुड़ाव की आवश्यकता को रेखांकित करती हैं।
- एक मजबूत चार-स्तरीय संशोधन ढांचे के लिए बाहरी विषय विशेषज्ञों को शामिल करने, उद्योग निकायों और नागरिक समाज से परामर्श करने, सार्वजनिक टिप्पणियों के लिए मसौदा पाठ जारी करने और जांच के लिए इसे संसद और स्थायी समितियों के समक्ष प्रस्तुत करने की आवश्यकता है।



आवश्यक परिभाषाएं (Essential Definitions)

- **द्विपक्षीय निवेश संधि / बीआईटी (Bilateral Investment Treaty - BIT):** दो संप्रभु राज्यों के बीच एक औपचारिक समझौता जो एक राज्य के नागरिकों और कंपनियों द्वारा दूसरे राज्य के अधिकार क्षेत्र में किए गए निजी निवेश के लिए शर्तों और कानूनी सुरक्षा को स्थापित करता है।
- **राज्य का विनियमित करने का अधिकार (State's Right to Regulate):** अंतर्राष्ट्रीय कानूनी देनदारियों को उठाए बिना सार्वजनिक कल्याण, स्वास्थ्य, पर्यावरण और आर्थिक स्थिरता के लिए गैर-भेदभावपूर्ण उपायों और घरेलू नीतियों को लागू करने के लिए एक संप्रभु सरकार का मान्यता प्राप्त अधिकार।
- **लोकतांत्रिक घाटा (Democratic Deficit):** कार्यपालिका के नेतृत्व वाली संधि वार्ताओं और अंतर्राष्ट्रीय नीति-निर्माण ढांचों के भीतर लोकतांत्रिक जवाबदेही, पारदर्शिता और व्यापक प्रतिनिधि निगरानी की संरचनात्मक कमी।

कानूनी और संवैधानिक ढांचा (Legal and Constitutional Framework)

- **भारतीय संविधान का अनुच्छेद 73:** संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार उन मामलों तक करता है जिनके संबंध में संसद को कानून बनाने की शक्ति प्राप्त है, जिससे कार्यपालिका को अंतर्राष्ट्रीय संधि वार्ताओं पर प्राथमिक जनादेश मिलता है।
- **भारतीय संविधान का अनुच्छेद 253:** विदेशी राष्ट्रों के साथ किसी भी संधि, समझौते या सम्मेलन को लागू करने के लिए कानून बनाने का विशेष अधिकार संसद को प्रदान करता है।
- **भारत का विधि आयोग (260वीं रिपोर्ट):** निवेश नीति की संस्थागत समीक्षा के लिए एक मिसाल स्थापित करते हुए, 2015 के मॉडल BIT के मसौदे पर व्यापक सिफारिशें तैयार कीं।

निष्कर्ष (Conclusion)

मॉडल BIT में संशोधन भारत को वैध राज्य नियामक हितों की रक्षा करते हुए दीर्घकालिक वैश्विक पूंजी को आकर्षित करने का अवसर प्रदान करता है। एक संतुलित परिणाम प्राप्त करने के लिए आंतरिक कार्यकारी विचार-विमर्श से आगे बढ़कर संधि-निर्माण ढांचे में सहभागी लोकतंत्र, संस्थागत निगरानी और सार्वजनिक परामर्श को शामिल करने की आवश्यकता है।

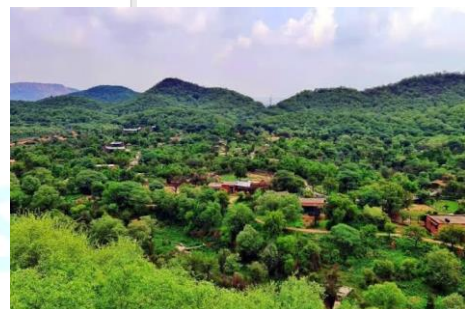
यूपीएससी प्रासंगिकता (UPSC Relevance)

- **जीएस पेपर II:** भारत के हितों पर विकसित और विकासशील देशों की नीतियों और राजनीति का प्रभाव; शासन के महत्वपूर्ण पहलू, पारदर्शिता और जवाबदेही; संसद और राज्य विधायिकाएं—संरचना, कार्यप्रणाली और कार्य-संचालन।
- **जीएस पेपर III:** भारतीय अर्थव्यवस्था तथा संसाधनों को जुटाने से संबंधित मुद्दे; प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) प्रवाह; द्विपक्षीय और बहुपक्षीय निवेश समझौते।
- **प्रारंभिक परीक्षा केंद्र:** अनुच्छेद 253, निवेशक-राज्य विवाद निपटान (ISDS) तंत्र, BITs पर विधि आयोग की रिपोर्ट, और भारत के मॉडल BIT ढांचे के मुख्य संरचनात्मक घटक।

7. सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित उच्च स्तरीय समिति ने अरावली के लिए पारिस्थितिकी तंत्र-आधारित सीमांकन का प्रस्ताव रखा

मुख्य विशेषताएं और सारांश (Key Highlights & Summary)

- सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गठित एक उच्च-स्तरीय समिति (HPC) ने समय से पहले क्षेत्र अनुमान जारी करने के खिलाफ चेतावनी दी है, और कहा है कि एकल भूभाग-आधारित ऊंचाई मानदंड का उपयोग करके अरावली पहाड़ियों का वैज्ञानिक रूप से सीमांकन नहीं किया जा सकता है।
- 31 अगस्त को प्रस्तुत एक अनुपालन रिपोर्ट में, HPC ने अरावली श्रृंखला के लिए एक पारदर्शी, पुनरुत्पादित और वैज्ञानिक रूप से तर्कसंगत परिभाषा तैयार करने के लिए 28 फरवरी, 2027 तक छह महीने के विस्तार का अनुरोध किया।
- पैनल ने "अरावली पारिस्थितिकी तंत्र परिदृश्य" (Aravalli Ecosystem Landscape) ढांचे का प्रस्ताव दिया जो इस क्षेत्र को अलग-थलग पहाड़ियों के विखंडित संग्रह के बजाय एक परस्पर जुड़े पारिस्थितिक तंत्र के रूप में मानता है।
- यह समग्र दृष्टिकोण कोर पहाड़ी प्रणालियों को दर्ज वनों, संरक्षित क्षेत्रों, पवित्र स्थलों ('ओरण'), पारंपरिक चरागाहों, आर्द्रभूमियों, महत्वपूर्ण जलग्रहण क्षेत्रों, भूजल-रिचार्ज क्षेत्रों और पुरातात्विक रूप से महत्वपूर्ण स्थलों के साथ एकीकृत करता है।
- यह समीक्षा उन आलोचनाओं के बाद हुई है कि अक्टूबर 2025 की एक पूर्व रिपोर्ट—जिसमें 100 मीटर की कठोर ऊंचाई सीमा की सिफारिश की गई थी—ने भारतीय वन सर्वेक्षण (FSI) की चेतावनियों को दबा दिया था कि इस तरह के मानदंड अरावली पहाड़ियों के लगभग 90% हिस्से को बाहर कर देंगे।
- उच्च-संकल्प CartoDEM डेटा, कोपरनिकस 30-मीटर डिजिटल एलीवेशन मॉडल और जिला संसाधन मानचित्रों का उपयोग करते हुए, HPC अलवर, अजमेर और उदयपुर सहित नमूना जिलों में तुलनात्मक व्यवहार्यता आकलन कर रहा है, जिसे NRSC और ISRO द्वारा मान्य किया गया है।



आवश्यक परिभाषाएं (Essential Definitions)

- अरावली पारिस्थितिकी तंत्र परिदृश्य ढांचा (Aravalli Ecosystem Landscape Framework):** एक एकीकृत संरक्षण पद्धति जो संरक्षित पर्वतीय क्षेत्रों का सीमांकन करने के लिए स्थलाकृतिक, जलवैज्ञानिक, जैविक और सामाजिक-आर्थिक आयामों का एक साथ मूल्यांकन करती है।
- CartoDEM / डिजिटल एलीवेशन मॉडल (Digital Elevation Model - DEM):** ऊंचाई, ढलान और भू-आकृतियों का विश्लेषण करने के लिए उपग्रह रिमोट सेंसिंग डेटा के माध्यम से निर्मित भूभाग सतह टोपोलॉजी का एक उच्च-संकल्प 3D डिजिटल प्रतिनिधित्व।
- ओरण (Orans):** राजस्थान में समुदाय द्वारा संरक्षित पवित्र उपवन और पारंपरिक चरागाह जो स्थानीय जैव विविधता संरक्षण और भूजल रिचार्ज में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

कानूनी और संवैधानिक ढांचा (Legal and Constitutional Framework)

- पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986:** विशिष्ट अधिसूचनाओं के माध्यम से केंद्र सरकार को अरावली श्रृंखला जैसे पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों में औद्योगिक गतिविधियों और खनन को प्रतिबंधित करने की शक्ति प्रदान करता है।
- केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति / सीईसी (Central Empowered Committee - CEC):** पर्यावरण संबंधी न्यायिक जनादेशों और वन संरक्षण कानूनों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय की देखरेख में स्थापित एक वैधानिक निकाय।
- भारतीय संविधान का अनुच्छेद 48A:** राज्य को प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और सुधार करने तथा देश के वनों, वन्यजीवों और प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्रों की सुरक्षा करने का जनादेश देता है।
- भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51A(g):** वनों, झीलों, नदियों और वन्यजीवों सहित प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और सुधार करना नागरिकों का मौलिक कर्तव्य है।

निष्कर्ष (Conclusion)

कठोर ऊंचाई-आधारित सीमा से एक व्यापक पारिस्थितिकी तंत्र-परिदृश्य ढांचे की ओर बढ़ना यह सुनिश्चित करता है कि निचले स्तर की निकटवर्ती पहाड़ियों, रिचार्ज क्षेत्रों और पवित्र वनों को आवश्यक वैधानिक सुरक्षा मिले। पारिस्थितिक क्षरण को रोकने, मरुस्थलीकरण से निपटने और अरावली बेल्ट में सतत विकास को संतुलित करने के लिए एनआरएससी (NRSC) और इसरो (ISRO) जैसी रिमोट सेंसिंग एजेंसियों द्वारा वैज्ञानिक सत्यापन आवश्यक है।

यूपीएससी प्रासंगिकता (UPSC Relevance)

- जीएस पेपर III:** संरक्षण, पर्यावरण प्रदूषण और क्षरण, पर्यावरण प्रभाव आकलन; पर्यावरण प्रबंधन में जीआईएस (GIS) और रिमोट सेंसिंग की भूमिका।
- प्रारंभिक परीक्षा केंद्र:** अरावली श्रृंखला का भूगोल, भारतीय वन सर्वेक्षण (FSI), राष्ट्रीय रिमोट सेंसिंग केंद्र (NRSC), CartoDEM, पवित्र उपवनों ('ओरण') की परिभाषा, और केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति (CEC) के जनादेश।

8. न्यायिक रिक्तियों को संबोधित करना: सुप्रीम कोर्ट ने जिला न्यायपालिका में सेवानिवृत्ति की आयु बढ़ाने पर दिया जोर

मुख्य विशेषताएं और सारांश (Key Highlights & Summary)

- मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली सुप्रीम कोर्ट की तीन जजों की पीठ ने सात सहमति देने वाले राज्यों—छत्तीसगढ़, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, सिक्किम, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल—को दो महीने के भीतर सेवा नियमों में संशोधन कर जिला न्यायिक अधिकारियों की सेवानिवृत्ति आयु 60 से बढ़ाकर 62 वर्ष करने का निर्देश दिया।
- इस निर्णय का उद्देश्य भारत भर की जिला अदालतों में लंबित 5.18 करोड़ से अधिक मामलों के बढ़ते अंबार के बीच अनुभवी न्यायिक प्रतिभा के गंभीर नुकसान (attrition) को रोकना है।

- असहमति जताने वाले राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को दो सप्ताह के भीतर अपनी स्थितियों का पुनर्मूल्यांकन करने का निर्देश दिया गया है, क्योंकि कई राज्य भर्ती अभियान स्वीकृत पदों को भरने में बार-बार विफल रहे हैं।
- सुप्रीम कोर्ट ने झिझक रहे राज्यों द्वारा उठाई गई वित्तीय बोझ की चिंताओं को खारिज कर दिया, और स्पष्ट किया कि अनुभवी न्यायाधीशों को बनाए रखने से न्यायिक कार्यप्रणाली को बनाए रखते हुए सेवानिवृत्ति के तुरंत बाद के देयों में देरी होती है।
- शीर्ष अदालत ने फैसला सुनाया कि अन्य सिविल सेवा कर्मचारी न्यायिक सेवा के साथ समानता का दावा नहीं कर सकते, क्योंकि न्यायपालिका एक स्वतंत्र, विशेष सेवा है।
- अकुशल अधिकारियों को लाभ उठाने से रोकने के लिए, उच्च न्यायालय विस्तार देने से पहले अनुपयोगी प्रतिभा (deadwood) को बाहर करने के लिए 60 वर्ष की आयु में प्रदर्शन मूल्यांकन और उपयुक्तता मानदंड पेश कर रहे हैं।



आवश्यक परिभाषाएं (Essential Definitions)

- **अधिवर्षिता / सेवानिवृत्ति (Superannuation):** वह वैधानिक आयु जिस पर किसी लोक सेवक या न्यायिक अधिकारी को आधिकारिक सेवा से कानूनी रूप से सेवानिवृत्त होना आवश्यक होता है।
- **न्यायिक क्षरण / एट्रिशन (Judicial Attrition):** सेवानिवृत्ति, त्यागपत्र या धीमी भर्ती प्रक्रियाओं के कारण कांडर से अनुभवी न्यायाधीशों का नुकसान, जिससे मामलों का बकाया बढ़ जाता है।
- **न्याय तक पहुंच (Access to Justice):** एक मौलिक संवैधानिक गारंटी जो यह सुनिश्चित करती है कि कानूनी उपचार प्राप्त करने के लिए नागरिकों के पास व्यावहारिक, समयबद्ध और प्रभावी संस्थागत तंत्र हों।

कानूनी और संवैधानिक ढांचा (Legal and Constitutional Framework)

- **भारतीय संविधान का अनुच्छेद 233 एवं अनुच्छेद 234:** राज्य उच्च न्यायालयों के परामर्श से जिला न्यायाधीशों और अधीनस्थ न्यायिक सेवा के सदस्यों की नियुक्ति, पदस्थापना और भर्ती को नियंत्रित करता है।
- **भारतीय संविधान का अनुच्छेद 235:** जिला अदालतों और अधीनस्थ अदालतों पर नियंत्रण—जिसमें सेवा की शर्तें, पदस्थापना और पदोन्नति शामिल हैं—संबंधित राज्य उच्च न्यायालय में निहित करता है।
- **भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21:** जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के एक अभिन्न अंग के रूप में त्वरित सुनवाई (Speedy Trial) और न्याय तक त्वरित पहुंच के मौलिक अधिकार को शामिल करता है।
- **ऑल इंडिया जज एसोसिएशन केस जनादेश (All India Judges Association Case Mandates):** ऐतिहासिक न्यायिक निर्देश जो अधीनस्थ न्यायपालिका में मानकीकृत वेतनमान, कामकाजी परिस्थितियों और कांडर प्रबंधन मानकों को स्थापित करते हैं।

निष्कर्ष (Conclusion)

सेवानिवृत्ति की आयु बढ़ाकर 62 वर्ष करना अनुभवी न्यायिक क्षमता को बनाए रखने और मामलों के लंबित रहने को कम करने के लिए एक तत्काल संरचनात्मक उपाय के रूप में कार्य करता है। उच्च न्यायालयों द्वारा सख्त प्रदर्शन मूल्यांकन के साथ इस विस्तार को जोड़ने से न्यायिक सत्यनिष्ठा के साथ कांडर दक्षता संतुलित होती है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि अधीनस्थ न्यायपालिका भारत की न्यायिक प्रणाली की एक प्रभावी नींव के रूप में काम करे।

यूपीएससी प्रासंगिकता (UPSC Relevance)

- जीएस पेपर II:** कार्यपालिका और न्यायपालिका की संरचना, संगठन और कार्यप्रणाली; न्यायिक लंबितता, रिक्तियों और सुधार उपायों से उत्पन्न मुद्दे; अधीनस्थ न्यायपालिका शासन।
- प्रारंभिक परीक्षा केंद्र:** अनुच्छेद 233 से 235, जिला न्यायपालिका बनाम उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु को नियंत्रित करने वाले संवैधानिक प्रावधान, ऑल इंडिया जज एसोसिएशन मामलों की सिफारिशें, और न्यायमूर्ति शेटी आयोग के दिशा-निर्देश।

9. रिकॉर्ड बैंकिंग तरलता के बीच RBI ने VRRR के माध्यम से ₹6.02 लाख करोड़ का अवशोषण किया

मुख्य विशेषताएं और सारांश (Key Highlights & Summary)

- भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने अभूतपूर्व अधिशेष को प्रबंधित करने के लिए दो 3-दिवसीय परिवर्तनीय दर रिवर्स रेपो (VRRR) नीलामी का उपयोग करके बैंकिंग प्रणाली से ₹6.02 लाख करोड़ का अवशोषण किया।
- 3 सितंबर तक शुद्ध बैंकिंग प्रणाली की तरलता लगभग ₹10.32 लाख करोड़ के रिकॉर्ड शिखर अधिशेष पर पहुंच गई।
- तरलता में यह भारी वृद्धि मुख्य रूप से RBI के विशेष विदेशी मुद्रा जुटाव अभियान से उपजी है, जिसने 31 अगस्त तक \$136.38 बिलियन को आकर्षित किया।
- इस प्रवाह में विदेशी मुद्रा अनिवासी (बैंक) [FCNR(B)] जमा \$127.23 बिलियन के साथ शीर्ष पर रही, जिसके साथ विदेशी उधार (ECBs और OFCBs) भी शामिल थे।
- विदेशी मुद्रा भंडार बनाने के लिए RBI द्वारा डॉलर-से-रुपया विदेशी मुद्रा विनिमय (forex swap) संचालन ने वाणिज्यिक बैंकों में व्यापक घरेलू रुपया तरलता जारी की।
- अत्यधिक अधिशेष तरलता ने मनी मार्केट दरों को नीतिगत रेपो दर से नीचे खींच लिया, जिससे केंद्रीय बैंक को रातभर की अंतर-बैंक कॉल मनी दरों को अपने मौद्रिक नीति रुख के साथ संरेखित करने के लिए VRRR संचालन को बढ़ाने के लिए मजबूर होना पड़ा।

आवश्यक परिभाषाएं (Essential Definitions)

- परिवर्तनीय दर रिवर्स रेपो / वीआरआरआर (Variable Rate Reverse Repo - VRRR):** बाजार-निर्धारित परिवर्तनीय ब्याज दरों पर वाणिज्यिक बैंकों से अस्थायी अतिरिक्त तरलता को अवशोषित करने के लिए RBI द्वारा उपयोग किया जाने वाला एक मौद्रिक नीति उपकरण।
- एफसीएनआर(बी) जमा योजना (FCNR(B) Deposit Scheme):** विदेशी मुद्रा अनिवासी (बैंक) जमा जो अनिवासी भारतीयों (NRIs) को अनुमत विदेशी मुद्राओं में सावधि जमा (term deposits) बनाए रखने की अनुमति देती है, जिससे जमाकर्ताओं के लिए विनिमय दर जोखिम कम हो जाता है।

- **तरलता समायोजन सुविधा / एलएएफ (Liquidity Adjustment Facility - LAF):** रेपो और रिवर्स रेपो संचालन के माध्यम से दिन-प्रतिदिन बैंकिंग प्रणाली की तरलता को प्रबंधित करने के लिए RBI द्वारा उपयोग किया जाने वाला प्राथमिक ढांचा।

कानूनी और संवैधानिक ढांचा (Legal and Constitutional Framework)

- **भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 (धारा 45ZB):** मौद्रिक नीति समिति (MPC) को नीतिगत रेपो दर निर्धारित करने का अधिकार देता है और मूल्य स्थिरता बनाए रखने के लिए तरलता ढांचे को संचालित करने का RBI को निर्देश देता है।
- **विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (FEMA), 1999:** विदेशी मुद्रा प्रवाह, FCNR(B) खातों और बाह्य वाणिज्यिक उधार (ECBs) को विनियमित करने के लिए वैधानिक कानूनी आधार प्रदान करता है।
- **भारतीय संविधान का अनुच्छेद 246 (सूची I - संघ सूची, प्रविष्टि 36 एवं 38 के साथ पठित):** संसद को मुद्रा, सिक्का ढलाई, कानूनी निविदा, विदेशी मुद्रा और बैंकिंग विनियमन पर विशेष अधिकार क्षेत्र प्रदान करता है।



निष्कर्ष (Conclusion)

हालांकि सफल डॉलर-जुटाव उपायों ने भारत के विदेशी मुद्रा भंडार को ऐतिहासिक ऊंचाई तक पहुंचा दिया है, लेकिन इसके परिणामस्वरूप उत्पन्न रुपया तरलता का अतिप्रवाह घरेलू मौद्रिक संचरण (monetary transmission) के लिए चुनौतियां पैदा करता है। VRRRs के माध्यम से सक्रिय तरलता प्रबंधन अल्पकालिक ब्याज दर स्थिरता सुनिश्चित करता है और प्रणालीगत स्थिरता को कमजोर किए बिना मुद्रास्फीति के दबाव को रोकता है।

यूपीएससी प्रासंगिकता (UPSC Relevance)

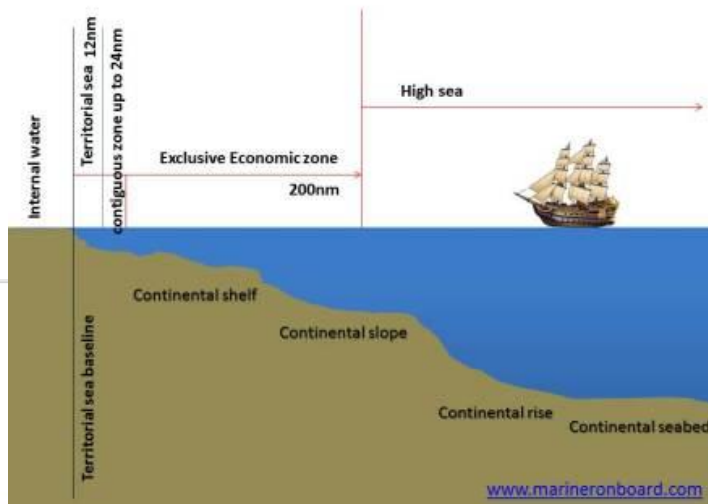
- **जीएस पेपर III:** भारतीय अर्थव्यवस्था तथा योजना, संसाधनों को जुटाने, प्रगति, विकास और रोजगार से संबंधित मुद्दे; मौद्रिक नीति ढांचा और RBI के उपकरण (LAF, Repo, Reverse Repo, VRRR)।
- **प्रारंभिक परीक्षा केंद्र:** VRRR बनाम MSF बनाम SDF के परिचालन तंत्र, FEMA के तहत FCNR(B) खाता नियम, भारत के विदेशी मुद्रा भंडार की संरचना, और भारित औसत कॉल मनी दर (weighted average call money rate) की गतिशीलता।

10. अनक्लॉस (UNCLOS): महासागरों का स्थायी संविधान और वैश्विक समुद्री शासन

मुख्य विशेषताएं और सारांश (Key Highlights & Summary)

- वरिष्ठ राजनयिक टॉमी कोह ने पुष्टि की कि समुद्र के कानून पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन (UNCLOS) समुद्री क्षेत्रों पर नियम-आधारित वैश्विक व्यवस्था का मार्गदर्शन करने वाला मौलिक "महासागरों का संविधान" बना हुआ है।

- 172 पक्षकार देशों के साथ, UNCLOS लगभग सार्वभौमिक पालन का आनंद लेता है; यहाँ तक कि अमेरिका जैसे गैर-रैटिफाई करने वाले राष्ट्र भी इसके संहिताबद्ध सिद्धांतों को आधिकारिक प्रथागत अंतर्राष्ट्रीय कानून के रूप में स्वीकार करते हैं।
- यद्यपि ईरान UNCLOS का औपचारिक पक्षकार नहीं है, फिर भी अंतर्राष्ट्रीय जलडमरूमध्य—जैसे कि होर्मुज जलडमरूमध्य—के माध्यम से ट्रांजिट मार्ग (transit passage) का सिद्धांत प्रथागत अंतर्राष्ट्रीय कानून में विकसित हुआ है जो सभी संप्रभु राज्यों को बाध्य करता है।
- 1982 में UNCLOS III वार्ताओं के दौरान, प्राथमिक राजनयिक गतिरोध भाग XI (Part XI) में शामिल था, जिसने गहरे समुद्र तल को "मानवता की साझी विरासत" (common heritage of mankind) घोषित किया था—एक ऐसा ढांचा जिसका शुरुआती अमेरिकी प्रशासनों ने वाणिज्यिक समुद्र तलीय खनन मानदंडों पर विरोध किया था।
- "डार्क बीच" जहाजों—सक्रिय एआईएस (AIS) ट्रांसपोंडर या स्पष्ट पंजीकरण के बिना चलने वाले जहाजों—का बढ़ता परिचालन खतरा खुले समुद्र में प्रवर्तन के लिए नई चुनौतियां पेश करता है, जिसके लिए अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन (IMO) के माध्यम से विनियमन की आवश्यकता है।
- दक्षिण चीन सागर जैसे क्षेत्रों में भू-राजनीतिक तनाव यह उजागर करता है कि विशेष आर्थिक क्षेत्र (EEZ) और महाद्वीपीय मग्नतट (continental shelf) सीमा विवादों को सुलझाने के लिए UNCLOS प्राथमिक कानूनी उपकरण बना हुआ है।



आवश्यक परिभाषाएं (Essential Definitions)

- **अनक्लॉस III / UNCLOS III:** समुद्र के कानून पर तीसरा संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन (1973-1982), जिसने समुद्री क्षेत्रों, नौवहन अधिकारों और समुद्री संसाधनों को नियंत्रित करने वाली व्यापक अंतर्राष्ट्रीय कानूनी संधि का मसौदा तैयार किया।
- **ट्रांजिट मार्ग व्यवस्था (Transit Passage Regime):** अंतर्राष्ट्रीय समुद्री कानून के तहत एक स्थापित नियम जो सैन्य जहाजों सहित सभी जहाजों और विमानों को अंतर्राष्ट्रीय नौवहन के लिए उपयोग किए जाने वाले जलडमरूमध्य के माध्यम से निरंतर और त्वरित मार्ग की अनुमति देता है।
- **मानवता की साझी विरासत (Common Heritage of Mankind):** UNCLOS भाग XI के तहत एक मौलिक सिद्धांत जो यह स्थापित करता है कि राष्ट्रीय अधिकार क्षेत्र से परे अंतर्राष्ट्रीय समुद्र तलीय क्षेत्र पूरी मानवता के हैं और इन पर एकतरफा दावा या दोहन नहीं किया जा सकता है।

कानूनी और संवैधानिक ढांचा (Legal and Constitutional Framework)

- **UNCLOS, 1982 (भाग XI):** अंतर्राष्ट्रीय समुद्र तलीय प्राधिकरण (ISA) द्वारा प्रशासित, अंतर्राष्ट्रीय समुद्र तलीय क्षेत्र में खनिज संसाधनों की खोज और दोहन को विनियमित करता है।

- **UNCLOS, 1982 (भाग V):** विशेष आर्थिक क्षेत्र (EEZ) की व्यवस्था स्थापित करता है, जो 200 समुद्री मील तक फैली हुई है, जो तटीय राज्यों को प्राकृतिक संसाधनों पर संप्रभु अधिकार प्रदान करती है जबकि नौवहन की स्वतंत्रता को संरक्षित करती है।
- **प्रादेशिक जल और समुद्री क्षेत्र अधिनियम, 1976:** अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सम्मेलनों के संरक्षण में भारत के प्रादेशिक जल, संलग्न क्षेत्र, EEZ और महाद्वीपीय मग्नतट को परिभाषित करने वाला भारत का घरेलू वैधानिक ढांचा।
- **भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51(c):** राज्य को संगठित लोगों के एक-दूसरे के साथ व्यवहार में अंतर्राष्ट्रीय कानून और संधि दायित्वों के प्रति सम्मान को बढ़ावा देने का निर्देश देता है।

निष्कर्ष (Conclusion)

क्षेत्रीय संघर्षों और ग्रे-मार्केट शिपिंग फ्लीट जैसी उभरती समुद्री चुनौतियों के बावजूद, UNCLOS महासागर शासन के लिए अपरिहार्य कानूनी ढांचा बना हुआ है। नौवहन की स्वतंत्रता को बनाए रखना और बहुपक्षीय संस्थागत अनुपालन के माध्यम से EEZ अतिव्यापी दावों को हल करना वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला स्थिरता और अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है।

यूपीएससी प्रासंगिकता (UPSC Relevance)

- **जीएस पेपर II:** महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संस्थान, एजेंसियां और मंच—उनकी संरचना, जनादेश; भारत से जुड़े और/या भारत के हितों को प्रभावित करने वाले द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक समूह और समझौते।
- **जीएस पेपर III:** समुद्री क्षेत्रों में सुरक्षा चुनौतियां और उनका प्रबंधन; अवसंरचना: बंदरगाह और समुद्री व्यापार; संरक्षण और महासागरीय संसाधन प्रबंधन।
- **प्रारंभिक परीक्षा केंद्र:** UNCLOS के तहत समुद्री क्षेत्रों का विभाजन (प्रादेशिक सागर, संलग्न क्षेत्र, EEZ, खुला समुद्र), ISA जनादेश, ट्रांजिट मार्ग बनाम निर्दोष मार्ग (innocent passage) अधिकार, और भारत के समुद्री क्षेत्र अधिनियम 1976 के प्रावधान।

11. लद्दाख ने 'नौटोर भूमि' नियमितीकरण नियमों को मंजूरी दी: स्वामित्व अधिकार प्रदान करना और स्थानीय शासन को मजबूत करना

मुख्य विशेषताएं और सारांश (Key Highlights & Summary)

- लद्दाख के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद (नौटोर नियमितीकरण) नियम, 2026 को मंजूरी दी, जिससे पात्र बंजर और परती भूमि जोतों पर स्वामित्व अधिकार प्रदान करने का मार्ग प्रशस्त हुआ।
- नया ढांचा 27 अक्टूबर, 2020 की कट-ऑफ तिथि से पहले कब्जे में ली गई 10 एकड़ तक की नौटोर भूमि के लिए स्वामित्व अधिकार प्रदान करने वाले एकमुश्त नियमितीकरण तंत्र की स्थापना करता है।

- 10-एकड़ की सीमा से अधिक की नौटोर जोतों के लिए, नियम केवल लीजहोल्ड (पट्टे के) आधार पर भूमि आवंटन की अनुमति देते हैं, जबकि 27 अक्टूबर, 2020 के बाद कब्जे में ली गई कोई भी भूमि नियमितीकरण के लिए अयोग्य रहेगी।
- यह नीति केंद्र शासित प्रदेश के सभी सात जिलों में राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज 60,000 एकड़ से अधिक नौटोर जोतों से जुड़े लंबे समय से लंबित कार्यकाल विवाद का समाधान करती है।
- लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषदों (LAHDCs) को अपने संबंधित अधिकार क्षेत्रों में नौटोर भूमि के नियमितीकरण को प्रशासित करने, आवंटित करने और प्रबंधित करने का स्पष्ट कार्यकारी अधिकार दिया गया है।
- औपचारिक भूमि शीर्षक (land titles) प्रदान करने से उन स्थानीय किसानों को कानूनी सुरक्षा मिलती है जिन्होंने सीमांत उच्च-ऊंचाई वाली मिट्टी को पुनरुद्धार (reclaim) किया है, जिससे वे बैंक ऋण और वित्तीय पहुंच के लिए संपार्श्विक (collateral) के रूप में भूमि शीर्षकों का उपयोग करने में सक्षम होते हैं।



Ladakh's long-pending nautor land issue resolved; thousands set to get proprietary rights

Photo: Third Party

आवश्यक परिभाषाएं (Essential Definitions)

- नौटोर भूमि (Nautor Land):** सरकार के स्वामित्व वाली बंजर या परती भूमि जो ऐतिहासिक रूप से स्थानीय निवासियों को कृषि खेती या उत्पादक भूमि उपयोग के लिए प्रदान या आवंटित की गई थी।
- स्वामित्व अधिकार (Proprietary Rights):** किसी संपत्ति पर राज्य द्वारा प्रदत्त पूर्ण कानूनी स्वामित्व, जो शीर्षक धारक को संपत्ति का उपयोग करने, स्थानांतरित करने या संपार्श्विक के रूप में लाभ उठाने की अनुमति देता है।
- लीजहोल्ड कार्यकाल (Leasehold Tenure):** एक संविदात्मक भूमि व्यवस्था जहां राज्य प्राथमिक स्वामित्व बरकरार रखता है, जो कब्जेदार को निर्धारित शर्तों के तहत एक निर्दिष्ट अवधि के लिए उपयोग का अस्थायी अधिकार प्रदान करता है।

कानूनी और संवैधानिक ढांचा (Legal and Constitutional Framework)

- LAHDC अधिनियम, 1997 की धारा 42:** यह अनिवार्य करती है कि जिले के भीतर राज्य की भूमि स्थानीय प्रशासन और विकास नियंत्रण के लिए परिषद को हस्तांतरित की जाती है।
- LAHDC अधिनियम, 1997 की धारा 23(1)(i):** इसमें निहित भूमियों के आवंटन, कब्जे और प्रबंधन के संबंध में पहाड़ी विकास परिषद में स्पष्ट कार्यकारी शक्तियां निहित करती है।
- जम्मू एवं कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019:** विरासत में मिली किरायेदारी संरचनाओं (27 अक्टूबर, 2020 को लागू J&K टेनेंसी एक्ट, 1980 सहित) को निरस्त कर दिया और UT-विशिष्ट भूमि कानूनों के लिए वैधानिक आधार तैयार किया।
- भारतीय संविधान का अनुच्छेद 239:** भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त एक प्रशासक या उपराज्यपाल द्वारा केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन की रूपरेखा तैयार करता है।

निष्कर्ष (Conclusion)

नौटोर नियमितीकरण नियम, 2026 स्वदेशी भूमि अधिकारों की रक्षा करने और अनधिकृत अतिक्रमणों को रोकने के बीच एक सतत संतुलन बनाते हैं। LAHDCs को वैधानिक भूमि प्रबंधन प्राधिकरण के साथ सशक्त बनाकर, यह नीति स्थानीय शासन संस्थानों को मजबूत करती है, कार्यकाल सुरक्षा प्रदान करती है, और उच्च-ऊंचाई वाले कृषि समुदायों की आर्थिक क्षमता को उजागर करती है।

यूपीएससी प्रासंगिकता (UPSC Relevance)

- जीएस पेपर II:** स्वायत्त जिला परिषदों की संरचना, संगठन और कार्यप्रणाली; केंद्र शासित प्रदेशों के कार्य और उत्तरदायित्व; शक्ति का विकेंद्रीकरण और स्थानीय स्वशासन।
- जीएस पेपर III:** भारत में भूमि सुधार; कृषि ऋण, भूमि कार्यकाल सुरक्षा और ग्रामीण वित्तीय समावेशन से संबंधित मुद्दे।
- प्रारंभिक परीक्षा केंद्र:** LAHDC अधिनियम 1997 के प्रावधान, नौटोर भूमि की परिभाषा और दायरा, अनुच्छेद 239 शासन तंत्र, और 2019 UT पुनर्गठन के बाद भूमि सुधार कट-ऑफ ढांचा।

12. व्यापक आर्थिक डेटा बनाम वास्तविक स्थिति: भारत के जीडीपी अनुमानों में जनता के अविश्वास के कारकों का विश्लेषण

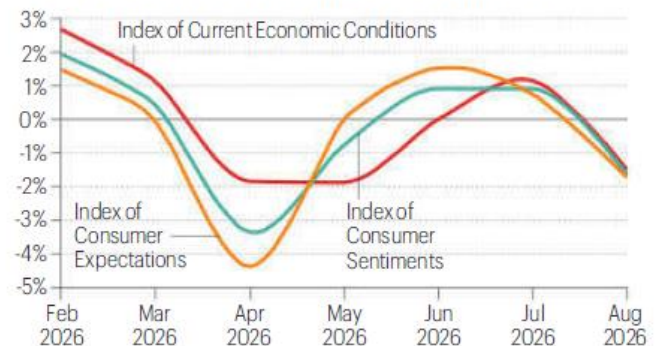
मुख्य विशेषताएं और सारांश (Key Highlights & Summary)

- भारत की केंद्र सरकार ने Q1 (अप्रैल-जून) जीडीपी वृद्धि के आंकड़े मजबूत 7.8% पर जारी किए, फिर भी आधिकारिक अनुमानों को हेडलाइन वृद्धि और जमीनी स्तर के आर्थिक संकेतकों के बीच तीव्र अंतर के कारण जनता के संदेह का सामना करना पड़ रहा है।
- रोजगार दरों में ठहराव आया है, जिसमें कामकाजी उम्र के व्यक्तियों (15 वर्ष और उससे अधिक आयु) के रोजगार में 2016-17 और मार्च 2026 के बीच निरंतर गिरावट देखी गई है।
- समग्र श्रम बल भागीदारी दर (LFPR) में संकुचन हुआ है, जो हतोत्साहित श्रमिकों (discouraged workers) में वृद्धि का संकेत देता है जो सक्रिय नौकरी-खोज बाजार से पूरी तरह बाहर हो गए हैं।
- जुलाई 2026 में औसत मजदूरी दरों में 1.5% की गिरावट आई—जो 12 महीने की अवधि में पांचवीं मासिक गिरावट है—जिसने घरेलू क्रय शक्ति को गंभीर रूप से कम कर दिया है।
- खुदरा मुद्रास्फीति तेजी से बढ़ी है, जो जनवरी में लगभग 2% से बढ़कर जुलाई में 5% से अधिक हो गई है, जिससे ग्रामीण और शहरी मांग सुस्त हुई है।
- सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी (CMIE) के मेट्रिक्स दर्शाते हैं कि उपभोक्ता भावना संकेतक नकारात्मक क्षेत्र में बने हुए हैं, जो खरीफ बुवाई कार्यक्रम पर देर से आए मानसून के प्रभाव से और भी बदतर हो गए हैं।

आवश्यक परिभाषाएं (Essential Definitions)

- **सकल घरेलू उत्पाद / जीडीपी (Gross Domestic Product - GDP):** एक विशिष्ट समय अवधि के दौरान किसी देश की घरेलू सीमाओं के भीतर उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का कुल मौद्रिक या बाजार मूल्य।
- **श्रम बल भागीदारी दर / एलएफपीआर (Labour Force Participation Rate - LFPR):** कामकाजी उम्र की आबादी (15 वर्ष और उससे अधिक आयु) का वह प्रतिशत जो या तो वर्तमान में कार्यरत है या सक्रिय रूप से रोजगार की तलाश कर रहा है।
- **हतोत्साहित श्रमिक प्रभाव (Discouraged Worker Effect):** एक व्यापक आर्थिक परिघटना जहां बेरोजगार व्यक्ति लंबे समय तक नौकरी की तलाश में विफलता के कारण काम की तलाश करना बंद कर देते हैं, जिससे कामकाजी उम्र की आबादी में उच्च वृद्धि के बावजूद श्रम बल में संकुचन होता है।

WEAKENING CONSUMER SENTIMENT



SOURCE: CENTRE FOR MONITORING INDIAN ECONOMY

कानूनी और संवैधानिक ढांचा (Legal and Constitutional Framework)

- **भारतीय संविधान का अनुच्छेद 112:** सांख्यिकी अधिकारियों द्वारा तैयार किए गए मानकीकृत राष्ट्रीय आय लेखांकन अनुमानों पर भरोसा करते हुए वार्षिक वित्तीय विवरण (Annual Financial Statement) प्रस्तुत करने का जनादेश देता है।
- **सांख्यिकी एकीकरण अधिनियम, 2008:** केंद्रीय, राज्य और स्थानीय सरकारी एजेंसियों द्वारा सामाजिक-आर्थिक और सांख्यिकीय आंकड़ों के संग्रह के लिए वैधानिक ढांचा स्थापित करता है।
- **राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय / एनएसओ (National Statistical Office - NSO) का जनादेश:** सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MoSPI) के तहत कार्य करते हुए, NSO के पास GDP, CPI, और आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (PLFS) मेट्रिक्स संकलित करने की वैधानिक जिम्मेदारी है।

निष्कर्ष (Conclusion)

शीर्ष स्तर के जीडीपी आंकड़ों और सुस्त जमीनी स्तर के घरेलू संकेतकों के बीच का अंतर आर्थिक संचरण (economic transmission) में संरचनात्मक अंतराल को उजागर करता है। डेटा संग्रह ढांचे को मजबूत करना, जीडीपी आधार वर्षों को पुनर्गठित करना, और रोजगार में ठहराव तथा मजदूरी में गिरावट को संबोधित करना आधिकारिक व्यापक आर्थिक सांख्यिकी में जनता का विश्वास बहाल करने के लिए आवश्यक कदम हैं।

यूपीएससी प्रासंगिकता (UPSC Relevance)

- **जीएस PAPER III:** भारतीय अर्थव्यवस्था तथा योजना, संसाधनों को जुटाने, प्रगति, विकास और रोजगार से संबंधित मुद्दे; मुद्रास्फीति प्रबंधन और मापन पद्धतियां।
- **प्रारंभिक परीक्षा केंद्र:** NSO और MoSPI डेटा संग्रह तंत्र, GDP आधार वर्ष संशोधनों के घटक, उपभोक्ता भावना मेट्रिक्स, CPI बनाम WPI गणना, और श्रम बल भागीदारी दर (LFPR) की परिभाषाएं।

SEPTEMBER 5, 2026

